राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1) सप्तम् विधान सभा के प्रथम सत्र का 25 दिवस (संख्या 9
1] [2

सोमवार

दिनांक 28 जुलाई, 1980

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1980-81

श्री अध्यक्ष : आय व्ययक का उपस्थापन।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : श्रीमन्,

फरवरी, 1980 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था अतः वर्ष 1980-81 का राज्य का बजट भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया। संसद द्वारा अप्रेल, 1980 से जुलाई, 1980 तक का लेखा अनुदान स्वीकृत कर संविधान की धारा 206 के अनुसार तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक पारित किया गया।

2. मैं अब वर्ष 1980-81 के आय-व्ययक अनुमान सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं।

3. प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद यह पहला बजट है। सन् 80 की शुरूआत देश और प्रदेश के इतिहास में स्मरणीय रहेगी जब कि लोक सभा एवं विधान सभा के आम चुनावों में जनमत ने ऐतिहासिक बदलाव आया। 1977 में हुए आम चुनाव के समय क्षणिक आवेश में आकर पिछली सरकार द्वारा दूरगामी परिणामों वाले कार्यक्रमों को सही परिप्रेक्ष्य में नही समझा गया। कुछ दिनों के लिये देश एवं प्रदेश के स्तर पर विभिन्न दलों के बेमेल गठबन्धन से बनी जनता पार्टी की सरकारों का गठन हुआ लेकिन कुछ ही समय में निहित स्वार्थों से गठित ये सरकारें छिन्न-भिन्न हो गईं तथा जाति और सम्प्रदाय आदि के विचारों पर आधारित दलो का पुनर्गठन कर ये निहित स्वार्थ अपने असली रूप में सामने प्रकट हुए। जनमत और सरकारों के बीच जो स्वरूप सामने आया वह नव गठित पार्टियों तथा उनकी नीतियों को जुबानी एक कहानी है जिसमें तानाशाही, साम्प्रदायिकता, जातिवाद आदि का रूप निहित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर गरीबों एवं किसानों की दुहाई देने वाले दलों एव व्यक्तियों का असली स्वरूप सामने आया। प्रदेश स्तर पर भी इसकी झलक प्रतिबिम्बित हुई। किये हुए वायदों को भुला दिया गया और याद रहा केवल घटकवाद और लक्ष्य रहा कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं उनके परिवार को तंग और बदनाम करने का। प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास के लिये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सर्वोदय एवं 20 सूत्री कार्यक्रम को भुला कर केवल अन्त्योदय के भुलावें में जनता को रखने की

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

कोशिश की गयी जब कि अन्त्योदय सर्वोदय का एक अंग होना चाहिये। कुछ ऐसी योजनाएं जारी की गईं जिनसे कुछ विचार विशेष के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य था। चूंकि वर्ष के बीच में हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं इसलिये इस साल हम वांछित प्रभावशील लक्ष्य इंगित नहीं कर पा रहे। हालांकि माननीय सदस्य मेरा भाषण सुनने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंच सकेंगे कि हमने नीतियों को कुछ नया मोड़ देने की कोशिश की है जिससे इस पिछड़े राज्य का सर्वतोमुखी विकास कर सकें। इसलिये मानव जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास है जैसे पेयजल, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि, अकाल एवं बाढ़ जैसी समस्या का स्थायी इलाज तथा कृषि एवं उद्योगों का समुचित विकास। नई सरकार के बनते ही श्री संजय गांधी के आकस्मिक निधन के रूप में ईश्वरीय प्रकोप ने हम सबको गम्भीर परिस्थिति में डाल दिया वह भी ऐसे मौके पर जब कि हम प्रकृति के प्रकोप से जूझ रहे थे। इसलिये जिस तेज गति के साथ हम काम प्रारम्भ करना चाहते थे उसमें गतिरोध आया लेकिन अब वे सिद्धान्त और कार्यक्रम हमारे सामने हैं जिन पर चल कर प्रदेश और देश को आगे बढ़ाना है।

4. संसद में बजट पेश करने के बाद पिछले 4 माहों में राज्य सरकार द्वारा कई आवश्यक स्वीकृतियां और जारी की गईं। भारत सरकार से अनुदानों आदि में भी कुछ वृद्धि हुई। अतः संसद में प्रस्तुत बजट अनुमानों में राज्य सरकार ने आवश्यक परिवर्तन किये हैं। माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में संसद में प्रस्तुत आय-व्ययक अनुमान एवं अब परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान दोनों ही दिखाये गये हैं।

5. राज्य की जनता ने मई, 1980 के चुनावों द्वारा जिन आशाओं और विश्वास के साथ वर्तमान सरकार को कार्यभार सौंपा है उन्हें पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। प्रदेश का द्रुत आर्थिक एवं सामाजिक विकास हमारा लक्ष्य है। हमारा विशेष प्रयत्न यह रहेगा कि विकास का लाभ, जहां समाज के सभी वर्गों व समुदायों को मिले, गरीब तबकों को विशेष रूप से मिले।

6. राजस्थान अपनी प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा के बावजूद विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में नहीं आ पाया है। इसके लिए हमें राज्य के उपलब्ध साधनों का अधिकाधिक उपयोग करना होगा। हमारा यह प्रयत्न होगा कि राज्य में उपलब्ध साधनों व जन-शक्ति का राज्य के आर्थिक विकास के लिए भरपूर उपयोग किया जाये।

7. अब मैं आपको राज्य की आर्थिक स्थिति का संकेत देने वाले कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। वर्ष 1977-78 में अच्छी वर्षा हुई। उस वर्ष राज्य का कृषि उत्पादन सूचकांक 210.72 था। वर्ष 1978-79 में खाद्यानों के उत्पादन में और वृद्धि हुई, यद्यपि कुछेक फसलों तथा गन्ना आदि में कमी के कारण सूचकांक 208.98 ही रहा। पर वर्ष 1979-80 में वर्षा की कमी के कारण खरीफ में कृषि उत्पादन में बहुत ही कमी आई। जहां 1978-79 में खरीफ खाद्यान की पैदावार लगभग 28

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

लाख टन थी इसके मुकाबले 1980 में यह पैदावार लगभग 13 लाख टन अनुमानित है। रबी के दौरान बिजली की कमी के बावजूद यह प्रयत्न रहा कि कृषि क्षेत्र के उत्पादन में कमी नहीं आये और उसका नतीजा यह हुआ कि वर्षा की इस कमी के बावजूद रबी में खाद्यान्न उत्पादन 31 लाख टन रहा।

8. वर्षा का अभाव जहां कृषि क्षेत्र में अपना सीधा असर दिखाता है, वहीं औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका असर कम नहीं पड़ता। वर्षा की कमी के कारण जलाशय भरे नहीं और उसके कारण बिजली का उत्पादन भी घटा। हर सम्भव प्रयत्न किया गया कि कृषि के क्षेत्र में बिजली की कमी का असर न आने पाये लेकिन औद्योगिक क्षेत्र को इस कटौती से बचाना संभव नहीं हो पाया। वर्ष 1979 में औद्योगिक उत्पादन में कुछ क्षेत्रों में कमी हुई। जहां रॉक फास्फेट, वेजीटेबल घी, सीमेंट, चीनी व स्प्रिट आदि के उत्पादन में कमी हुई वहीं कुछ अन्य वस्तुएं जैसे नमक, यूरिया, जिंक आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

9. जनसंख्या की वृद्धि का असर बेरोजगारी के क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ता है। शिक्षा को जहां हम सामाजिक विकास का अत्यन्त आवश्यक अंग मानकर बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं वहीं जनसंख्या की वृद्धि के कारण शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि भी स्वाभाविक है। वर्ष 1976 के अन्त में 2.72 लाख रोजगार चाहने वाले व्यक्ति रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत थे। वर्ष 1979 के अन्त में यह संख्या 3.38 लाख हो गई।

10. मूल्यों की वृद्धि पिछले डेढ़ वर्ष से विशेष चिन्ता का विषय रही है। राजस्थान का 1952–53 पर आधारित औसत मूल्य सूचकांक जो 1976 में 382 था वह 1979 में 480 पर पहुंच गया। हमारा प्रयत्न होगा कि अब इस प्रकार की आर्थिक नीतियां अपनाई जायें कि मूल्यों में अधिकाधिक स्थिरता आये।

11. वर्ष 1960-61 पर आधारित स्थिर मूल्यों पर 1976–77 में प्रति व्यक्ति आय 316 रुपये थी जो वर्ष 1977–78 में 311 रुपये रह गई। 1978–79 में यह आय प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार 321 रुपये है। वर्षा के अभाव व उसकी वजह से कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव के कारण पिछले वर्ष यह आय फिर गिरी। मोटे अनुमानों के अनुसार 1979–80 में प्रति व्यक्ति आय 276 रुपये रहने की संभावना है। इस वर्ष वर्षा के आसार अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हमारा यह प्रयत्न होगा कि इस वर्ष कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन को गति देकर न केवल प्रति व्यक्ति आय में गत वर्ष आई कमी को पूरा किया जाये बल्कि इसमें और अधिक वृद्धि हो।

12. राज्य में सूखे की भंयकरता से आप सभी परिचित हैं। गत वर्ष 35083 गांवों में से 31095 गांवों को अभाव ग्रस्त घोषित किया गया था। सूखे के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, माननीय सदस्यों को उसका भी अन्दाज है। इस अकाल का सामना करने के लिए अकाल राहत के कार्यक्रम, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, पीने के पानी का इन्तजाम एवं अन्य विविध व्यवस्थाओं से राज्य के वित्तीय

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

साधनों पर बहुत बोझा पड़ा है। भारत सरकार ने अकाल राहत हेतु वर्ष 1979–80 में 13.26 करोड़ रुपये की तथा वर्ष 1980–81 में 15.32 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता देकर हमारी मदद की है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1979–80 में 3.08 तथा 1980–81 में अब तक 1.30 लाख टन खाद्यान्न की सहायता भी उपलब्ध कराई है।

13. सदन के माननीय सदस्यों को सार्वजनिक ऋण के बारे में राज्य की स्थिति जानने की उत्सुकता होगी। 31–3–79 को राज्य सरकार की कुल देन-दारियां 1348.28 करोड़ रुपये थी जिनमें 1175.42 करोड़ रुपये का सार्वजनिक ऋण सम्मिलित है। इनमें भारत सरकार से लिया गया ऋण 964.35 करोड़ रुपये है। इन देन-दारियों के पेटे राज्य सरकार की परिसंपत्ति 1309.39 करोड़ रुपये है।

14. राज्य की आर्थिक स्थिति को पूरे देश की आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। यह छठी पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष है परन्तु माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि अब वर्ष 1980–85 के लिए नई छठी पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही है जिसमें हम अपनी आर्थिक नीतियों एवं प्राथमिकताओं का स्पष्ट उल्लेख कर सकेंगे। हमने अपनी आर्थिक नीतियों को नया मोड़ देने का प्रयत्न इसी वर्ष प्रारम्भ कर दिया है पर उनके विशेष प्रभाव आगे आने वाले वर्षों में ही नजर आयेंगे।

15. शुरू में वर्ष 1980–81 की वार्षिक योजना 325 करोड़ रुपये की थी। अग्रिम योजना सहायता तथा राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किये गये अधिक योजना व्यय को सम्मिलित करने के पश्चात् इस वर्ष की योजना का आकार 344.95 करोड़ रुपये हो गया। माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि नई सरकार के गठन के पश्चात् योजना आयोग ने योजना व्यय में 3.41 करोड़ रुपये की वृद्धि करने की सहमति और दी है। इस प्रकार अब कुल योजना व्यय 348.36 करोड़ रुपये हो जावेगा जो कि वर्ष 1979–80 के 291.21 करोड़ रुपये के अग्रिम योजना सहायता सहित संशोधित योजना व्यय के मुकाबले 19.62 प्रतिशत अधिक है। हमारा प्रयत्न है कि इन विकास के कार्यों में अभी और वृद्धि की जावे। निकट भविष्य में इस संबंध में योजना आयोग में मीटिंग है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस वार्ता के पश्चात् राजस्थान के विकास कार्यों के लिये हमें भारत सरकार से और अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी।

16. वर्ष 1980–81 के योजना व्यय का मुख्य मदों में विभाजन इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपये में)

1. सिंचाई एवं विद्युत् विकास	193.45
2. सिंचाई एवं सामुदायिक सेवाएं	54.24
3 कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएं	53.53
4 परिवहन एवं संचार	26.60
5. उद्योग एवं खनिज	11.91
6. सहकारिता	5.23
7. अन्य	3 40
योग :	348.36

(श्री जगन्नाथ पराड़िया)

17. हमारी मान्यता है कि सिंचाई एवं विद्युत् विकास आर्थिक ढांचे के मुख्य स्तम्भ हैं। आप देखेंगे कि इस मद में राज्य की योजना का बहुत बड़ा भाग विनियोजित किया गया है। पिछले वर्ष इस मद में 157.40 करोड़ रुपये का प्रावधान था जो इस वर्ष 193.45 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मुझे पूर्ण आशा है कि योजना आयोग से विचार-विमर्श के समय इस मद में और भी वृद्धि हो जायगी। इसी प्रकार कृषि एवं सम्बन्धित सेवाओं में पिछले वर्ष के 32.91 करोड़ रुपये के प्रावधान के मुकाबले इस वर्ष 53.53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

18. 348.36 करोड़ रुपये के योजना व्यय के लिए राज्य के स्वयं के साधन 176.18 करोड़ रुपये के उपलब्ध हैं। 130.14 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी। अतः 42.04 करोड़ रुपये के साधनों की और व्यवस्था करनी होगी।

19. राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण जनता की प्रगति को अत्यन्त आवश्यक मानता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति से सीधे सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम जैसे विद्युतीकरण, सड़क निर्माण, पेय जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण एवं कृषि विकास के कार्यक्रमों पर पिछले वर्ष 466.06 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था परन्तु अब हम इसे बढ़ा कर 492.09 करोड़ रुपये कर रहे हैं।

20. राज्य के विकास के कुछ मुख्य मदों में होने वाले व्यय से मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा।

सिंचाई

21. वर्ष 1980-81 में सिंचाई पर 136.07 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। राजस्थान नहर के निर्माण पर लगभग 31 करोड़ रुपये तथा माही परियोजना पर इस वर्ष 7.55 करोड़ रुपया व्यय होगा। 1.39 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता वाली वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं पर भी कार्य आरम्भ होगा। वृहद् योजनाओं में नोहर फीडर, सिद्धमुख तथा चम्बल समूह के कार्य सम्मिलित हैं। मध्यम योजनाओं में बिलास एवं छापी योजनाओं पर कार्य आरंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आधुनिकीकरण के कार्यों पर 11.50 करोड़ रुपयों का व्यय होगा। 46 नई लघु सिंचाई योजनाओं पर भी कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

विद्युत्

22. इस वर्ष विद्युत् विकास के लिए 115.27 करोड़ रुपये की योजना का प्रावधान रखा गया था। अग्रिम योजना सहायता एवं जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने वाले अधिक ऋणों से मिल कर यह व्यय 119.21 करोड़ रुपये हो जायेगा।

राजस्थान में नये उद्योग आ रहे हैं। उनके आकर्षण के दो प्रमुख कारण बिजली की उपलब्धि एवं अच्छा श्रमिक वातावरण है। बिजली की उपलब्धि निरन्तर बनाये रखने के लिये बिजली उत्पादन के नये प्रोजेक्ट लगाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोटा स्टेज प्रथम, जिसमें 110-110 मेगावाट की दो यूनिटें हैं, का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है और आशा है कि पहली यूनिट अगले वर्ष व दूसरा यूनिट उसके

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

6 माह बाद बिजली उत्पादन करने लगेगी। आर.ए.पी.पी. की दूसरी यूनिट जो 200 मेगावाट बिजली पैदा करेगी, इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ हो जायेगी। इसी वर्ष 210–210 मेगावाट के दो यूनिट का कोटा स्टेज द्वितीय व 120 मेगावाट के पलाना विद्युत् गृह की टैक्नो–इकोनोमिक स्वीकृति सी.ई.ए. द्वारा प्राप्त हो गई है। प्रारम्भिक कार्य इसी वर्ष शुरू हो जायेगा।

औद्योगीकरण से भी अधिक महत्वपूर्ण हम कृषि के क्षेत्र को मानते हैं। अधिक से अधिक गांवों तथा कुओं का विद्युतीकरण करने की ओर हमारा प्रयास जारी है। ग्रामीण विद्युतीकरण में पिछले वर्ष 15.40 करोड़ रुपये के प्रावधान की तुलना में इस वर्ष 16.32 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जा रहा है। इसी प्रकार सब ट्रान्समीशन में 12 करोड़ रुपये का प्रावधान के मुकाबले इस वर्ष 13.20 करोड़ रखा जा रहा है। ई.एच.टी. ट्रान्समीशन लाइनों पर 25.12 करोड़ के मुकाबले 26.13 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। अब से शुरू होने वाले अगले 12 महीनों में लगभग 2500 गांवों का विद्युतीकरण करने की योजना है जिनमें लगभग 1600 गांव इसी वित्तीय वर्ष में विद्युतीकृत हो जायेंगे। इसी प्रकार अगले 12 माह में 30,000 कुओं को बिजली देने का लक्ष्य है जिसमें इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक 20,000 कुओं को बिजली उपलब्ध होने का अनुमान है।

कृषि

23. वर्ष 1980-81 में खरीफ में 32 लाख टन एवं रबी में 52 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है। व्यापारिक फसलों में 6.20 लाख टन दलहन, 24 लाख टन गन्ना तथा 5.90 लाख गांठ कपास के उत्पादन का लक्ष्य है। वर्ष 79-80 में 97 हजार क्विन्टल उन्नत बीज का वितरण किया गया था। इस वर्ष 1.72 लाख टन उन्नत बीज के वितरण का लक्ष्य है। रासायनिक खाद गत वर्ष 1.47 लाख टन उपलब्ध कराया गया था परन्तु इस वर्ष 2.18 लाख टन उपलब्ध कराया जायेगा। दलहनों की कमी को ध्यान में रखते हुए अरहर की बुवाई करीब 80 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

सहकारिता

24. वर्ष 80-81 में 90 करोड़ रुपये के अल्पकालीन, 10 करोड़ रुपये के मध्य-कालीन तथा 5.50 करोड़ रुपए के दीर्घ-कालीन ऋणों के वितरण करने का लक्ष्य है। सहकारी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों में हनुमानगढ़ में स्थापित की गई स्पिनिंग मिल इस वर्ष उत्पादन आरम्भ कर देगी। गंगानगर जिले में काटन सीड आयल के लिए प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण आरम्भ हो चुका है। इस साल इसके पूरा होने की सम्भावना है। काटन जिनिंग, प्राइस प्लांट एवं ईसरगोल के तीन नये प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का प्रस्ताव है।

सहकारिता के जरिए उपभोक्ता वस्तुओं की वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जायेगा। चीनी वितरण के लिए राज्य सरकार ने सहकारी उपभोक्ता संघ को प्रथम बार 2 करोड रुपए का ऋण एवं 1.36 करोड़ रुपये की हिस्सा पूंजी उपलब्ध कराई है। भण्डारण व्यवस्था के अन्तर्गत 80-81 में

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

926 गोदामों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी द्वारा भवन निर्माण के लिए वर्ष 80-81 में 3 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य है।

मरु विकास

25. सूखा पीडित क्षेत्रों एवं मरु विकास के लिए इस समय राज्य में दो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 10.80 करोड़ रुपये का प्रावधान है तथा मरु विकास कार्यक्रम में 11.80 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हमारा प्रयास है कि जल प्रदाय योजनाओं को भी डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत ले लिया जाय, इससे हमें भारत सरकार से अधिक सहायता प्राप्त हो सकेगी जिससे इन योजनाओं को पूरा करने में गति मिलेगी।

शिक्षा

26. इस वर्ष शिक्षा पर लगभग 137 करोड़ रुपये व्यय होगा जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13 करोड़ रुपये अधिक है। अनूसूचित जाति/जन जाति के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं वेश-भूषा उपलब्ध कराने के लिए लगभग 46 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। 7 पॉलिटेकनिक विद्यालयों की अंतर्ग्रहण क्षमता को 865 से बढ़ा कर 940 किया जा रहा हैं। दो नये प्रौद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भी इस वर्ष 7 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के तथा 6 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के नये विषय खोले जायेंगे। एक महाविद्यालय में गृह विज्ञान की कक्षा प्रारम्भ की जा रही है। महाविद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने हेतु लगभग 50 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता सहित उपलब्ध होंगे।

प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए इस वर्ष 600 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जावेंगे तथा 200 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायगा।

समाज कल्याण

27. राज्य के 325 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय में अनुसूचित जाति संघटक योजना में होने वाला व्यय 27.85 करोड़ रुपये है। यह संघटक योजना पहली बार उल्लिखित की जा रही है। जनजाति क्षेत्रीय विकास की योजना पर इस वर्ष 16.95 करोड़ रुपये व्यय होंगे। पिछले वर्ष यह राशि 15.69 करोड़ रुपये थी।

1980-81 में अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिये भिन्न-भिन्न श्रेणियों के 15 छात्रावास खोले जायेंगे। इनकी क्षमता 375 छात्र-छात्राओं की होगी। छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि के फलस्वरूप अब प्रत्येक छात्र पर 90.00 रुपये के बजाय 120.00 रुपये प्रति माह व्यय किया जावेगा। वर्ष 1980-81 में 9 नये औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे जिनमें 135 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम के लिये जिसकी स्थापना मार्च 80 में हुई है, इस वर्ष 20 लाख रुपये का प्रावधान है। अनुसूचित जातियों के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के लिये भारत

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)
सरकार से लगभग 5 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि मिलने के संकेत मिले हैं।

प्रारम्भ से ही अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को अच्छी शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा देने की दृष्टि से ख्याति प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिये छात्रावास हेतु कुल खर्चा वहन करने का विचार है जिसकी संख्या एवं राशि छात्रों की संख्या के आधार पर तय की जायेगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो छात्र विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस आदि सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हों, उनके प्रशिक्षण के लिये भी निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

औद्योगिक विकास

28. राज्य के औद्योगिक विकास में राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। निगम द्वारा अब तक 34 परियोजनाओं के लिये संयुक्त क्षेत्र में अनुबन्ध किया जा चुका है जिनमें लगभग 150 करोड़ रुपये का विनियोजन होने की आशा है। वर्ष 1980-81 में निगम द्वारा 1115 एकड़ अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने का लक्ष्य है जिसमें करीब 4.50 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा।

निदेशक, उद्योग द्वारा सन् 1980–81 में 11,600 लघु इकाइयों को पंजीकृत करने का लक्ष्य है। इस साल राजस्थान वित्त निगम द्वारा 32 करोड़ रुपये के ऋण वितरण करने का लक्ष्य है। साथ ही 61 इकाइयों को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न चल रहा है।

रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में गांधीजी की अर्थनीति के अनुसार खादी एवं ग्रामोद्योग की एक अपनी ही भूमिका है। जहां बड़े उद्योगों में एक लाख रुपये के नियोजन से 5,7 व्यक्तियों को सीधा रोजगार मिलता है, वहां एक लाख रुपये के नियोजन पर खादी में लगभग 37 लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है। वर्ष 1980–81 में खादी का उत्पादन 1350 लाख रुपये से बढ़कर 1650 लाख रुपये हो जायेगा और इस कार्यक्रम के आधार पर रोजगार पा रहे व्यक्तियों की संख्या 1,33,000 से बढ़कर 1,45,000 हो जायेगी। साथ ही ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 11,000 अतिरिक्त इकाइयों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। वर्ष 1979–80 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से सहायता प्राप्त ग्रामोद्योग के अन्तर्गत व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहे थे। आशा है इस वर्ष यह संख्या 61,500 से बढ़ कर 78,000 हो जायेगी।

चिकित्सा

29. वर्ष 1980–81 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 16 कर्मचारी आवास, 60 उपकेन्द्र भवन, 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन एवं 4 रेफरल अस्पतालों के भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। वर्ष 1980–81 में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ होगा। परिवार कल्याण के कार्यक्रम पर इस वर्ष 6.38 करोड़ रुपये व्यय होंगे। वर्ष 1980–81 में 30 नये 'स' श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना का प्रावधान है। साथ ही होमियोपेथिक चिकि-

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

त्सालयों के विकास हेतु एक सहायक निदेशक का पद पृथक् से सृजित किया जावेगा।

परिवार कल्याण

30. स्वर्गीय श्री संजय गांधी के पांच सूत्री कार्यक्रम में परिवार कल्याण का विशेष स्थान है, जिसे हम जनता को विश्वास में लेकर उनके सहयोग से राष्ट्रहित में चलाना चाहते हैं। इसके लिए जो कदम उठाये गये हैं, उनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं लेपरोसकोपिक पद्धति द्वारा महिलाओं की नसबन्दी। अब तक ऐसी नसबन्दियां गुजरात तथा महाराष्ट्र से बुलाये गये विशेषज्ञों द्वारा की जाती थीं किन्तु अब राज्य सरकार ने अपनी महिला विशेषज्ञों की 8 टीमें तैयार कर ली हैं जिनका प्रशिक्षण सितम्बर के अन्त तक पूर्ण हो जायगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने नसबन्दी कराने वाले को अपनी ओर से प्रेरक राशि देने का निश्चय किया है जो कि पुरुषों के लिए 80 रुपया और महिलाओं की साधारण नसबन्दी के लिये 50 रुपया तथा लेपरोसकोपिक पद्धति से आपरेशन कराने वाली महिलाओं के लिए 30 रुपया होगी। यह राशि भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले 70 रुपये प्रति आपरेशन की राशि से अतिरिक्त होगी। इस अतिरिक्त प्रेरक राशि के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है तथा इसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आप लोगों ने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा, लेपरोसकोपिक आपरेशन इतना लोकप्रिय हुआ है कि जगह-जगह पर विशेषज्ञों का घेराव इसलिये किया गया ताकि वे सभी एकत्रित महिलाओं की नसबन्दी करके ही जायं। मुझे पूर्ण आशा है कि राज्य में इस वर्ष पिछले वर्ष से लगभग दुगुनी नसबन्दी होगी और इसकी संख्या लगभग 90 हजार तक पहुंच जायेगी। इस बारे में मैं आपको पुनः आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम पूर्णरूपेण स्वेच्छा से होगा, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं। सरकार के द्वारा परिवार नियोजन के लाभों से जनता को शिक्षित कराना तथा तकनीकी सेवाओं और सुविधाओं को उपलब्ध कराना परिवार कल्याण कार्यक्रम का अंग होगा।

जल प्रदाय

31. विश्व बैंक से 138 करोड़ रुपये की जल प्रदाय एवं सीवरेज योजना सहायता प्राप्त करने के लिये उचित संगठन बनाने हेतु राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल का गठन कर दिया गया है। इस वर्ष विश्व बैंक परियोजना में लिये जाने वाले कार्यों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होगा कि राज्य में चौबीस हजार गांवों में पेयजल की समस्या है। हमारा यह लक्ष्य है कि ग्रामीण पेयजल की समस्या का शीघ्र से शीघ्र समाधान हो। शुरू में इस वर्ष ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण पर 12.53 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। अब इस प्रावधान को बढ़ा कर लगभग 20 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। हमारा यह प्रयत्न होगा कि इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार से त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक से अधिक सहायता प्राप्त की जाये। पर इस दिशा में हमारा यह भी प्रयत्न रहेगा कि ग्रामवासी पेयजल

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

स्कीमें चलाने हेतु मात्र राज्य सरकार पर ही निर्भर न रह कर जहां तक हो सके हम आत्मनिर्भर बनें।

31-3-80 तक 23037 समस्या-ग्रस्त गांवों में से 4646 गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी गई थी। इस वर्ष 2000 गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। हमें आशा है कि हमारी उपलब्धि इस लक्ष्य से अधिक होगी। पर हमारी योजना है कि हम पूरे 24 हजार गांवों में इस समस्या का समाधान अगले पांच वर्षों में ही उपलब्ध करादें। अतः विभाग को यह निर्देश दिये गये हैं कि वह अपनी क्षमता बढ़ाकर प्रति वर्ष 5000 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने के स्तर पर लायें। अब से शुरू होने वाले अगले बारह महीनों में लगभग 4000 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास होगा।

वित्त आयोग

32. सातवें वित्त आयोग द्वारा प्रशासनिक स्तर में सुधार हेतु 19.29 करोड़ रुपयों का प्रावधान स्वीकृत किया गया था। वर्ष 1980--81 में निम्न मदों में इस प्रावधान के पेटे प्रस्तावित व्यय इस प्रकार है :--

(1)	खजाना एवं लेखा प्रशासन	49.00 लाख
(2)	न्याय प्रशासन	65.12 लाख
(3)	राजस्व एवं जिला प्रशासन	52.00 लाख
(4)	परिगणित क्षेत्र उप परियोजना	7.00 लाख
(5)	पुलिस	206.00 लाख
(6)	जेल	8.00 लाख

वर्ष 1980-81 में बाल बन्दी सुधार गृह अजमेर के भवन के लिये 5.00 लाख रुपये व्यय होंगे। पुलिस आवास की समस्या के हल करने के लिये 49 नये आवास गृह तथा 200 पुलिस कर्मचारियों की क्षमता के 2 नये बैरकों का निर्माण किया जायगा। 48 न्यायालयों के नये भवनों एवं 48 नये आवासीय भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

सड़क निर्माण

33. राज्य में वर्ष 1979-80 के अन्त तक 36782 कि. मी. सड़कें थीं। वर्ष 1980-81 में 1000 कि. मी. सड़कें और निर्माण करने का लक्ष्य है। इसके लिये 22.37 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। सड़कों के रख-रखाव पर होने वाले व्यय के लिये भी 20.47 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

पशुपालन एवं डेयरी

34. पशुपालन राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था का एक मुख्य अंग है। राज्य में पिछले वर्ष दुग्ध संकलन का औसत लगभग तीन लाख लीटर प्रतिदिन था। इस वर्ष यह बढ़ कर चार लाख लीटर प्रतिदिन तक हो जाने की आशा है। विभिन्न दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या इस वर्ष 1.25 लाख तक पहुंच जायेगी। गत वर्ष दुग्ध के उत्पादकों को प्राप्त मूल्य लगभग 17.5 करोड़ रुपया था जो कि इस वर्ष 23 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है।

वन विकास

35. इस वर्ष वन विकास पर लगभग 11.54 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

इस धनराशि से वनों के सुधार, वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण की विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी।

स्वर्गीय संजय गांधी की स्मृति में इस वर्ष 1.80 करोड़ वृक्ष लगाये जायेंगे। इनमें 1.50 करोड़ वृक्ष वन विभाग द्वारा तथा 30 लाख वृक्ष जन सहयोग से लगाये जायेंगे।

जन-शक्ति एवं नियोजन

36. वर्ष 1980-81 में श्रमशक्ति में 3.06 लाख व्यक्तियों की वृद्धि अनुमानित है। राज्य द्वारा किये जाने वाले विकास व्यय से 3.69 लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अतः कुल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में कमी कर पाना संभव होगा।

विभिन्न व्यक्तियों में बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्हें स्वनियोजन की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से नई औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। लगभग 450 अभियान्त्रिकी स्नातकों, 500 डिप्लोमाधारियों, 260 डाक्टरों, 100 पशु चिकित्सकों तथा 170 वैद्यों को नये रोजगार मिलने की संभावना है।

अल्प शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित ग्रामीण युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलवाने के कार्यक्रम से सम्बद्ध कर अधिकाधिक व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

संस्थागत वित्त

37. राज्य के स्वयं के सीमित साधनों के अतिरिक्त संस्थागत वित्त राज्य के आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। राज्य में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के द्रुत विकास हेतु, विशेषतः कमजोर वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए, व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार आवश्यक है। इस दिशा में कारगर कदम उठाये जा रहे हैं।

राज्य में जून, 1978 में प्रति बैंक शाखा औसत जनसंख्या 22000 थी जब कि राष्ट्रीय औसत 20000 थी। जून, 1979 में यह औसत राज्य में 20000 हो गई जबकि राष्ट्रीय औसत 18000 रही। राज्य सरकार द्वारा इस फर्क को कम करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक साख का लाभ मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक शाखा विस्तार हेतु लिखा गया। रिजर्व बैंक ने बताया है कि 1981 के अन्त तक राजस्थान में प्रति बैंक शाखा जनसंख्या की औसत अनुमानित राष्ट्रीय औसत के समकक्ष लाने के प्रयास किये जायेंगे।

बजट अनुमान 1980-81

38. वर्ष 1980-81 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

1. राजस्व प्राप्तियां	716.59
2. राजस्व व्यय	669.41
3. राजस्व खाते में बचत	47.18

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

4.	पूंजीगत प्राप्तियां	247.75
5.	योग (3 व 4)	294.93
6.	पूंजीगत व्यय	336.97
7.	शुद्ध घाटा (6–5)	42.04

वर्ष 1980-81 के बजट अनुमान जो संसद् में प्रस्तुत किए गये थे उनमें 34.09 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था। 7.95 करोड़ रुपये की यह वृद्धि मुख्यतया 31-3-80 को 7.09 करोड़ रुपये के बकाया मार्गोपाय अग्रिम का इस वर्ष भुगतान किये जाने के कारण है, यद्यपि व्यय की विभिन्न मदों में वृद्धि की गई है परन्तु आय में होने वाली संभावित वृद्धि से प्रति संतुलित होकर व्यय में शुद्ध वृद्धि केवल 86 लाख रुपये है।

39. अब मैं माननीय सदस्यों को उन कारणों से अवगत कराना चाहता हूं जिनसे उपरोक्त घाटे में और वृद्धि होगी:—

(1) फरवरी, 1980 तथा मई, 1980 से राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दो और किस्तें देय हो गई हैं। प्रथम किस्त का लाभ 1300 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को होगा तथा दूसरी किस्त का लाभ 1900 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को होगा। इन दोनों किस्तों को देने से राज्यकोष पर 14 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। राज्य की आर्थिक स्थिति यद्यपि इस बोझ को वहन करने की स्थिति में नहीं है फिर भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति सद्भाव रखने की दृष्टि से इन दोनों किस्तों को देने के आदेश प्रसारित कर रही है। इससे प्रत्येक कर्मचारी को 8.00 रुपये से 30.00 रुपये तक प्रति किस्त प्रति माह अधिक महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि फरवरी, 1980 से देय किस्त का भुगतान नकद कर दिया जाय परन्तु मई, 1980 से दी जाने वाली किस्त की 50 प्रतिशत राशि प्रत्येक कर्मचारी के सामान्य प्रावधायी निधि के खाते में प्रति माह जमा कराई जाय। इससे जहां राज्य कर्मचारियों में बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, वहां मुद्रा प्रसार में भी इसका प्रभाव कम करने में सहायता मिलेगी।

(2) वर्तमान में कक्षा 1, 2 में पढ़ रहे अनुसूचित जाति/जन जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा पोशाक दिये जाने की सुविधा उपलब्ध है। अब यह सुविधा कक्षा 3 तक बढ़ाई जा रही है जिससे कमजोर वर्ग के अधिक विद्यार्थियों को विद्यालय में बने रहने में तथा पढ़ाई निरन्तर रखने का प्रोत्साहन मिलेगा। इस पर लगभग 30 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय होगा। इस प्रकार यह प्रावधान अब कुल 76 लाख हो जायेगा।

बढ़ती हुई छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए तथा वैकल्पिक विषयों की मांग को देखते हुए इस वर्ष कक्षा 9 व 11 में लगभग 200 नए सैक्शन तथा 200 नये वैकल्पिक विषय खोले जावेंगे। इस पर लगभग 50 लाख रुपये व्यय होगा। इस वर्ष 200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कर माध्यमिक विद्यालय प्रारम्भ किए जावेंगे जिन पर लगभग 1.40 करोड़ रुपये व्यय होगा। 600 प्राथमिक तथा 200 उच्च प्राथमिक नये विद्यालय खोलने की चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषयों को चुनने की ओर अधिक सुविधा देने के लिए लगभग 8 नये विषय खोले जावेंगे। इस पर लगभग 3.00 लाख रुपये व्यय होगा। इस प्रकार कुल 22 विषय नये खोले जायेंगे।

छात्राओं को उपयोगी तकनीकी शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से राज्य में छात्राओं का एक अलग से पॉलीटेक्निक खोले जाने का निर्णय लिया गया है। चालू वर्ष में इसकी प्रारम्भिक तैयारी की जावेगी।

(3) राज्य में अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों में उनके द्वारा किये गये पूंजी निवेश पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान किया जावेगा। जिन पिछड़े जिलों में 15 प्रतिशत अनुदान पहले से ही मिल रहा है, वहां अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देकर 20 प्रतिशत कर दिया जायगा। इसके लिए इस वर्ष 50 लाख रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है। मुझे आशा है कि राज्य के औद्योगिक विकास में इससे जहां एक ओर पिछड़े वर्ग की रुचि पैदा होगी, वहां लघु उद्योगों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

(4) राज्य में अकुशल श्रमिकों को कुशल श्रमिक बनाने हेतु अभी प्रशिक्षण की व्यवस्था की कमी है। स्वर्गीय संजय गांधी की स्मृति में राज्य में तकनीकी प्रशिक्षणालयों को खोलने का प्रस्ताव है। इसके लिए इस वर्ष 20 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है।

(5) पशुधन की उचित देखभाल के लिए पशु चिकित्सालयों की कमी महसूस की जा रही है। इस वर्ष डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम में 30 नये पशु चिकित्सालय तथा सामान्य कार्यक्रम में 30 और पशु चिकित्सालय खोले जावेंगे। सामान्य कार्यक्रम में खोले जाने वाले पशु चिकित्सालयों पर 30 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।

(6) आयुर्वेदिक औषधालय की राज्य में बहुत अधिक मांग रहती है। इस वर्ष कुल 100 नये आयुर्वेद औषधालय खोलने का प्रस्ताव है जिन पर लगभग 13 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय होंगे।

(7) ग्रामीण भवन निर्माण को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 50 लाख रुपये का और प्रावधान रखने का प्रस्ताव है। इस प्रकार कुल प्रावधान 75 लाख रुपये होगा। हम आशा करते हैं कि लाभान्वित व्यक्तियों से अंशदान के रूप में 1.25 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे तथा इस 2.00 करोड़ रुपये के विरुद्ध इतनी ही राशि संस्थानों से ऋण के रूप में प्राप्त होगी। इस 4.00 करोड़ रुपये के विनियोजन से लगभग 10 हज़ार मकान बन सकेंगे।

(8) समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे अथवा उसके द्वारा सहायता प्राप्त आश्रम विद्यालयों को बन्द कर दिया गया था। राज्य सरकार इस वर्ष उन्हें पुन: प्रारम्भ करेगी।

(9) इस वर्ष अनुसूचित जाति सहकारी निगम को 30 लाख रुपये की और अतिरिक्त सहायता दी जावेगी।

Page No.14

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

(10) परिवार कल्याण में अतिरिक्त प्रेरक राशि दिये जाने हेतु 50 लाख रुपये के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव है। इस प्रकार इस मद में कुल राशि 6.88 करोड़ रुपये हो जायगी।

(11) पैट्रोल, डीजल इत्यादि की भारी कमी को देखते हुए ऊर्जा पैदा करने के अन्य साधनों को बढ़ावा देने हेतु इस वर्ष गोबर गैस संयंत्र लगाने पर अधिक जोर दिया जावेगा। जब कि सारे राजस्थान में शुरू से लेकर मार्च 80 तक केवल करीबन 400 संयंत्र लगे हैं, इस वर्ष में, 2500 संयंत्र लगाये जावेंगे। इन संयंत्रों के द्वारा लोग घरों में खाना बनाने हेतु गैस प्राप्त कर सकेंगे, खेतों पर सिंचाई हेतु पम्प चलाये जा सकेंगे एवं सामुदायिक आधार पर गांवों में रोशनी की जा सकेगी। इन संयंत्रों में गोबर के साथ-साथ सभी प्रकार का कूड़ा करकट व घास पत्ते इत्यादि भी काम आ सकते हैं।

(12) इस वर्ष 100 नये एलोपेथिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव है जिन पर 15.00 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय होंगे। साथ ही जिला अस्पतालों में वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने तथा उन्हें सुदृढ़ करने के लिये 15.00 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करने का प्रस्ताव है।

(13) पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 25 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार कुल प्रावधान 1 करोड़ 10 लाख रुपये हो जायेगा।

(14) विधवा स्त्रियों तथा विकलांग व्यक्तियों की वृद्धावस्था पेन्शन की आय सीमा को 10 वर्ष कम करने के आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं। असाधारण/विषम परिस्थितियों में आयु सीमा की पूर्णतः छूट दी जा सकती है।

40. राज्य की नगरपालिकाओं द्वारा अपने व्यय को पूरा करने के लिये चुंगी लगाई जाती है। इससे यातायात में अनावश्यक अवरोध पैदा होता है। चुंगी को समाप्त करने की दिशा में पहल करने से पहले नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति तथा चुंगी से समाप्त होने वाली आय के दूसरे विकल्प ढूंढने होंगे। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने से पूर्व यह चाहती है कि इस प्रश्न पर सभी पहलुओं से पूर्ण विचार किया जाय। अतः इसके लिये राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी जिसमें सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही सदस्य होंगे।

कर प्रस्ताव

41. मेरे अब तक के भाषण से माननीय सदस्यों ने अन्दाज लगाया होगा कि विकास के हर क्षेत्र में बढ़ोतरी के कारण व्यय में जो वृद्धि होगी उसके लिये मैं नये कर लगाने या वर्तमान करों में वृद्धि का प्रस्ताव करूंगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में करों का अधिक बोझ बढ़ा कर मुद्रा स्फीति को बढ़ावा नहीं देना चाहता। हालांकि विकास में और गति देने के लिये जन-सहयोग करों के रूप में लेना आवश्यक होता है। लेकिन माननीय सदस्यों की आशंकाओं के विपरीत, निम्न रियायतें दे रहा हूं :—

(1) इस समय जिस व्यापारी की सालाना खरीद पांच हजार रुपये से बढ

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

जाती है, उस पर क्रय कर का दायित्व आ जाता है। अब इस सीमा को दस हजार रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है। इससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी।

(2) इस समय उत्पादकों को कर मुक्त माल के अतिरिक्त दूसरा माल तैयार करने के लिए कच्चे माल की 1 प्रतिशत कर की रियायती दर से खरीद करने के प्रावधान हैं। किन्तु अभी यह रियायत उसी उत्पादन के लिए है जिसका विक्रय राज्य में अथवा अन्तर्राज्यीय व्यवहार में किया जाय। अब इस रियायत को उस उत्पादन पर भी लागू करने का प्रस्ताव है जिसका विक्रय भारत के बाहर निर्यात के सिलसिले में होगा।

(3) राज्य में नवस्थापित अधिसूचित उद्योगों को राज्य में अथवा अन्तर्राज्यीय व्यवहार में अथवा भारत के बाहर निर्यात के लिए बेचे जाने के लिए माल तैयार करने के विषय में यह रियायत थी कि कच्चा माल बिना कर चुकाये खरीद सकते थे। यह रियायत 31 मार्च, 1974 से 31 मार्च, 1979 तक स्थापित होने वाले उद्योगों को पांच वर्ष के लिए उपलब्ध थी। अब इस पांच वर्षीय रियायत को 1 अप्रेल, 1979 से 31 मार्च, 1984 तक लगने वाले कारखानों पर भी लागू किया जाता है।

(4) विकलांगों तथा अंधों की मदद के लिए निम्नलिखित वस्तुओं को बिक्री कर से मुक्त किया जाता है :—

(अ) (1) ब्रेल राइटर
(2) ब्रेल शीघ्रलिपि राइटर
(3) ब्रेल फ्रेम
(4) ब्रेल उपकरण
(5) लैक्टोमीटर
(6) ब्रेल थर्मामीटर
(7) ब्रेल बैरोमीटर

(ब) विकलांग मनुष्यों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कृत्रिम साधन।

(स) कृत्रिम श्रव्य साधन (हीयरिंग एड)।

(5) परिवार कल्याण योजनाओं को प्रश्रय देने के लिए पूर्व से ही कण्डोम्स को कर मुक्ति प्राप्त थी। अब यह कर मुक्ति अन्य गर्भ निरोधकों को भी दी जा रही है।

(6) सदन में कुछ महिला सदस्य भी हैं। महिला वर्ग द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर शायद वे कर की रियायत की आशा कर रही होंगी। सुहाग एवं श्रृंगार भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि कुंकुम, सिन्दूर और मेंहदी की राज्य में की हुई बिक्री को कर मुक्त किया जाय।

(7) गोबर गैस के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गोबर गैस में काम आने वाली निम्नलिखित मशीनरी को कर मुक्त किया जाता है :—

(1) गोबर गैस होल्डर
(2) गोबर गैस होल्डर के लिए गाइड फ्रेम
(3) गोबर गैस बर्नर।

(8) अस्पृश्यता हमारे समाज के लिए कलंक है जिसका कारण है ऐसे उद्योग धंधे

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

यथा मैला सफाई, जो गन्दे माने जाते हैं तथा आज भी कुछ लोग परम्परागत तरीके से हाथ से करते हैं। अतः संमार्जन यानि मैला सफाई मजदूरों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले औजार, चमड़ा उतारने तथा चमड़ा कमाने के हालात सुधारने के लिए इन कार्यों में प्रयोग होने वाले औजारों की बिक्री पर कर मुक्ति दी जाने का प्रस्ताव है बशर्ते इनके उत्पादक व्यापारी के बिक्री कर के पंजीयन प्रमाण-पत्र पर इसका इन्द्राज हो।

42. विभाग टायर कार्ड को कर योग्य मानता आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको कर मुक्त ठहराया है। अतः अब तक किये गये कर निर्धारणों, वसूलियों आदि को विधि मान्य किया जा रहा है।

43. व्यय में वृद्धि एवं करों में उपरोक्त रियायत देने के कारण इस वर्ष के घाटे में लगभग 16.00 करोड़ रुपये की और वृद्धि होगी। अतः इस वर्ष का घाटा 58.04 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

44. वर्ष 1979-80 के अन्त में 27.01 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट था। इसे वर्ष 1980-81 के घाटे में जोड़ने पर इस वर्ष के अन्त में 85.05 करोड़ रुपये का घाटा रहने की सम्भावना है।

45. हमारा यह प्रयत्न होगा कि 1979-80 के अन्त में रही ओवर ड्राफ्ट की राशि को केन्द्र सरकार से लम्बी अवधि के ऋण में परिवर्तित करा लिया जाए। शेष 58.04 करोड़ रुपये के घाटे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी मैं इस वर्ष इसे पूरा करने के लिए कोई नया कर प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। मेरा यह प्रयत्न होगा कि इस घाटे की पूर्ति कर रहित राजस्व में वृद्धि करके, आयोजना भिन्न व्यय में मितव्ययता करके तथा केन्द्रीय सरकार से अधिक योजना सहायता प्राप्त करके पूरा किया जावे।

46. श्रीमन्, इन्हीं शब्दों के साथ मैं 1980-81 के बजट अनुमान सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। सम्पूर्ण मांगों के पारित होने तक अगस्त एवं सितम्बर, 1980 के लिए लेखानुदान पारित करने के प्रस्ताव भी विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं।

जय हिन्द।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1980।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं प्रस्तुत करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (छबड़ा) : क्या प्रस्तुत करते हो। मुंह से तो कहो।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान विक्रय कर (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1980 को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य के परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) वर्ष 1980–81 का (अगस्त-सितम्बर 1980 के लिये लेखानुदान सहित) उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 29 जुलाई, 1980 के प्रातःकाल 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. पू. 11.47 बजे मंगलवार दिनांक 29 जुलाई, 1980 के म. पू. 11.00 बजे तक स्थगित की गई)